

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/53/2019

तारीख रजु 30.05.2019

उनवान

1.विशन बाई बेवा सुआ लाल जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

2.वीरेन्द्र

3.भूरसिंह

4.मनोज

5.अतरसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

पिसरान सुआलाल जाति जाटव निवासी  
जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----वादी

बनाम

1.कमल पुत्र नथुआ, वगैरह जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादी (17)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री मोहन अवस्थी एडवाकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- श्री रामदयाल गुप्ता एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 1074, 1151/1, 1158, 1173, 1257, 1269/2, 1271, 979, तकास्मा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वकील वादीगण द्वारा दिनांक 29.11.2019 को निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा होने से दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 53/2019 बिशनबाई वगै. बनाम कमल वगै. नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

29-11-19  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

